न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

पंचायत रिवीजन संख्याः 31/25

दायर दिनांकः 09.12.2025

निर्णय दिनांक 16.01.2026

—: अनवान :—

1. श्री भगतसिंह पिता मोतीसिंह जी राजपूत निवासी केरावतो की भागल पासुन तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द (विड्रो)
2. श्री मोहनसिंह पिता मनसिंह जी खरवड राजपुत निवासी केरावतो की भागल पासुन तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द (विड्रो)
3. श्री खेमसिंह पिता भीमसिंह जी खरवड राजपुत निवासी केरावतो की भागल पासुन तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द
4. श्री खेमाराम पिता देवा जी मोगीया राजपुत निवासी मोगीया का थाना, पासुन तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द (विड्रो)
5. श्री धुलाराम पिता देवा जी मोगीया राजपुत निवासी मोगीया का थाना, पासुन तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द (विड्रो)
6. श्री लालसिंह पिता नाथुसिंह जी कडेचा राजपुत निवासी पासुन तहसील कुभलगढ जिला राजसमन्द
7. श्री अमरसिंह पिता चन्दनसिंह जी केडचा राजपुत निवासी पासुन नई भागल तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द (विड्रो)
8. श्री इन्द्रलाल पिता भंवरलाल जी लौहार निवासी पासुन नई भागल तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द (विड्रो)
9. श्री दर्गेशसिंह पिता निर्भयसिंह जी झाला निवासी झडपा तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द (विड्रो)

— निगराकार/प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री नानसिंह पिता मोतीसिंह जी खरवड राजपुत निवासी केरावतो की भागल पासुन तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द
2. श्री जवानसिंह पिता मोतीसिंह जी खरवड राजपुत निवासी केरावतो की भागल पासुन तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द
3. ग्राम पंचायत बनोकडा जरिये प्रशासक/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बनोकडा पंचायत समिति कुम्भलगढ

— गैर निगराकारगण

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

ग्राम पंचायत बनोकडा पंचायत समिति कुम्भलगढ के नाम से जारी पट्टा संख्या 4877 दिनांक 30.10.2010 के विरूद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994

उपस्थितः–

1– श्री श्यामसुन्दर पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार।
2– श्री, जितेन्द्र देवपुरा अधिवक्ता अप्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 01 व 02
3– अप्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 03 अनुपस्थित

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार ने निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत_ग्राम पंचायत बनोकड़ा द्वारा जारी पट्टा संख्या 4877 दिनांक 30.10.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पासुन केरावतो की भागल तहसील कुम्भलगढ में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के सामने सरकारी भूमि पडी हुई जो बच्चो के खेलने के लिए हैं जिसके आराजी संख्या 5378/4123 हैं। उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या 1 व 2 जबरन पंचायत के नाम की भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने के आशय से जबरन नीवें खोदने लगे तो ग्रामवासियो जिसमें निगराकार भी हैं ने ग्राम पंचायत में शिकायत की तो ग्राम पंचायत ने विपक्षी को ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने हेतु नोटिस दिया तथा इनका काम रूकवा दिया। अभी दो तीन दिन से ये लोग वापस जोर शोर से काम करने लगे तो ग्रामवासियो ने पंचायत वालो को काम रूकवाने का कहा तो कहने लगे कि नानसिंह पिता मोतीसिंह ने मृतक देवली बाई पत्नि मोतीसिंह जी खरवड के नाम का पट्टा संख्या 4877 दिनांक 30. 10. 2010 का होना बता केवल राज्य सरकार को पक्षकार बना न्यायालय से स्टे प्राप्त किया और उसकी आड़ में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहा हैं। श्रीमती देवली पत्नि मोतीसिंह जी का स्वर्गवास दिनांक 16.02.2005 को हो चुका है। नानसिंह व उसके भाईयो ने सरकारी जमीन हडपने के लिए फर्जी रूप से पट्टा मृतक देवलीबाई पत्नि मोतीसिंह जी के नाम का दिनांक 30.10.2010 तैयार कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर ग्राम पंचायत की भूमि पर अत्तिकमण कर निर्माण कार्य कर रहे हैं। तथाकथित फर्जी रूप से पट्टा मृत व्यक्ति के नाम सरकारी जमीन स्कुल के पास की को हडपने के आशय से बनाया जो अवैध है तथा इस पट्टे के आधार पर जबरन नाजायज कब्जा करने पर उतारू हैं। तथाकथित पट्टा निलामी में जारी करने का दर्शित किया गया हैं जो गलत हैं, इस दिन कोई निलामी ही नहीं हुई तथा कोई मृत व्यक्ति कैसे निलामी में भाग ले सकता हैं। निगराकार ने ग्राम पंचायत से आक्षेपित पट्टे के संबंधीत दस्तावेज लेने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया तो ग्राम पंचायत ने ऐसे कोई दस्तावेज ग्राम पंचायत में नहीं होने की सूचना दी। निलामी कार्यवाही पंचायतीराज अधिनियम

1996 के नियम 145 से लगायत 155 के प्रावधानो की पालना किया जाना आवश्यक रहता है, तथाकथित पट्टा के संबंध में उक्त नियमो की पालना नहीं की गई, यदि ऐसा पट्टा जारी भी हुआ हो तो बिना नियमो की पालना किये जारी पट्टा अवैध व शुन्य रहता हैं। अतः निवेदन हैं कि उक्त निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर आक्षेपित पट्टा संख्या 4877 दिनांक 30.10.2010 को खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर निगराकार/अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र देवपुरा ने उपस्थिती दी। अप्रार्थी संख्या 03 को जारी नोटिस बाद तामील के प्राप्त तथा अप्रार्थी संख्या 03 ने जवाब प्रस्तुत किया किन्तु अप्रार्थी संख्या 03 जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात लगातार पेशी पर अनुपस्थित व वक्त बहस भी अनुपस्थित।

प्रार्थी संख्या 07 तथा 09 द्वारा दिनांक 22.12.2025, प्रार्थी संख्या 02, 04, 05 तथा 08 द्वारा दिनांक 02.01.2026, प्रार्थी संख्या 02, 04, 05 तथा 08 द्वारा दिनांक 02.01.2026 को प्रार्थना पत्र बाबत कार्यवाही नही चाहने/समाप्त करने बाबत पेश किया। जिन्हे स्वीकार किया गया। प्रार्थी संख्या 01 द्वारा दिनांक 09.01.2026 प्रार्थना पत्र बाबत कार्यवाही समाप्त करने बाबत पेश किया। जिसे शामील मिसल किया गया।

अप्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि स्कूल के सामने बच्चों के खेलने के लिये कोई भूमि स्थित नहीं है। आराजी संख्या 5378/4123 राजस्व रेकर्ड में आबादी होकर ग्राम पंचायत के नाम पर दर्ज है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि का पट्टा जारी कर रखा है। ग्राम में जो भी आबादी भूमि है वो राजस्व रेकर्ड में ग्राम पंचायत के नाम पर ही दर्ज होती है एव ग्राम पंचायत चाहे उस भूमि को नीलाम कर सकती है। उक्त निगरानी न तो स्कूल वालों द्वारा एवं नहीं ग्राम पंचायत की और से पेश की गयी है। जिन व्यक्तियों द्वारा निगरानी पेश की गई उनमें से कुछ ने निगरानी की कार्यवाही समाप्त करवा ली और शेष मात्र लालसिंह, खेमसिंह ही निगरानी में शेष रहे है, जो दोनो गाँव पासुन के अपराध प्रवृत्ति के व्यक्ति है, जो लोगों पर दवाब बना कर रूपये वसुल करते है एवं रूपये वसूलने के क्रम में ही उनके द्वारा उक्त निगरानी निराधार आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जिन व्यक्तियों द्वारा निगरानी पेश की गई वे किस प्रकार से क्षुब्ध है यह उन्होंने अपनी निगरानी में कही पर ही नहीं बताया है। विपक्षी संख्या 1 व 2 ने अपनी पट्टे शुदा भूमि पर ही पूर्व के निर्माण को हटा कर नया निर्माण कार्य प्रारम्भ किया तो प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को जलील एव परेशान करना आरम्भ कर दिया कि हमें रूपये देकर ही निर्माण कार्य कर सकते हो जिस पर विपक्षीगण ने रूपये देने से तब प्रार्थीगण ने तहसीलदार साहब कुम्भलगढ़ के समक्ष आवेदन पत्र दिया जिस पर तहसीलदार साहब द्वारा अकारण ही कार्य रूकवाये जाने पर विपक्षी नानसिंह

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

ने सिविल न्यायालय, कुम्भलगढ के समक्ष वाद व आवेदन प्रत्र प्रस्तुत किया जिस आवेदन प्रत्र में न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर माननीय जिला कलेक्टर व तहसीलदार कुम्भलगढ को आगामी पेशी तक निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है। उक्त वाद में पैरवी करने के लिये श्रीमान् जिला कलेक्टर, राजसमन्द की और से पैनल अधिवक्ता श्री बिहारीलाल बायती को मुकर्रर कर रखा है। उक्त स्थगन जारी होने पर सचिव द्वारा नियमों के विपरीत नोटिस दिये जाने पर विपक्षीगण ने न्यायालय का आदेश बताया तब सचिव ने विपक्षीगण से नाजायज लाभ की माँग की जो विपक्षी संख्या 1 व 2 ने पूर्ति करने से इन्कार कर दिया तब सचिव ने प्रार्थीगण से मिलीभगत कर रूपये प्राप्त करने की गरज से झूठे एव मनगढन्त तथ्यों के आधार पर निगरानी आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी, निगरानी पेश करवाने में मात्र लालसिंह व खेमसिंह ने सचिव से मिली भगत कर अन्य लोगों की सहायता से जो निगरानी आप न्यायालय के समक्ष पेश करवाई उसकी जानकारी प्रार्थीगण को होने पर उन्होंने स्वयं आप न्यायालय के समक्ष उपस्थिति होकर निगरानी दुराशय पूर्ण प्रस्तुत करना बता कर निगरानी की कार्यवाही समाप्ति की प्रार्थना की है, जो सभी आवेदन पत्र प्रत्रावली पर उपलब्ध है, प्रार्थीगण को सिविल न्यायालय कुम्भलगढ़ में वाद व आवेदन पत्र पेश करने की जानकारी आरम्भ से ही है परन्तु प्रार्थीगण ने वाद व आवेदन पत्र में पक्षकार नहीं बन कर निगरानी आप न्यायालय के समक्ष पेश कर दी जबकि प्रार्थीगण चाहते तो वाद व आवेदन पत्र में पक्षकार बन कर अपना पक्ष रख सकते थे। लालसिंह एव खेमसिंह द्वारा ही की गई एवं उनके द्वारा ही अन्य लोगों को झूठा बहाना बना कर निगरानी में हस्ताक्षर करवाये गये जिसकी जानकारी उनको होने पर उनके द्वारा निगरानी की कार्यवाही समाप्त करने बाबत् आवेदन पत्र आप न्यायालय के समक्ष पेश किया है। देवली बाई के पति मोतीसिह का स्वर्गवास आज से करीब तीस वर्ष पूर्व हो चुका था एवं उसके पश्चात् दिनांक 05.05.2012 को देवली बाई का स्वर्गवास हुआ था। देवली बाई के निधन से पूर्व उसके पति मोतीसिह का निधन होने से देवली बाई के नाम पर ग्राम पंचायत द्वारा भूमि नीलाम की गई और भूमि क्रय करने वाले व्यक्ति के नाम पर पट्टा जारी किया गया था क्योंकि आबादी भूमि पर देवली बाई का एव उसके पति मोतीसिह का उनके पूर्वजों के समय से ही कब्जा होकर उपयोग उपभोग में ले रहे थे। देवली बाई के कुल पाँच पुत्र जिनके नाम क्रमशः व दो पुत्रियों है जो सभी जीवित होकर देवली बाई के सभी लडकों द्वारा आबादी भूमि पर विगत 12 माह से निर्माण कार्य पूर्व के निर्माण को हटा कर नया निर्माण आरम्भ कर दिया, जिसकी जानकारी समस्त ग्रामवासियो को है। उक्त भूमि सरकारी भूमि नहीं होकर आबादी भूमि है एवं आबादी भूमि को विक्रय, नीलाम, बेह कर पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। आबादी भूमि पर जब तहसीलदार, कुम्भलगढ द्वारा रूकावट की गई तो विपक्षी नानसिंह ने सिविल वाद व आवेदन प्रत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें तहसीलदार कुम्भलगढ़ माननीय जिला कलेक्टर के अधिन होने से दोनो को पक्षकार बनाया गया। न्यायालय द्वारा विधिवत् बहस सुनकर ही स्थगन

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

आदेश जारी किया गया, जो आदेशिका से भी स्पष्ट प्रमाणित है। देवली बाई की मृत्यु दिनांक 05.05.2012 को हुई थी न कि दिनांक 16.02.2005 को मात्र सचिव जिसने विपक्षी संख्या 1 व 2 से नाजायज लाभ की मांग की जो विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा पूर्ण नही किये जाने पर उसने रजिस्ट्रर में फर्जी इन्द्राज करवा कर प्रार्थीगण की और से निगरानी आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाई जिस निगरानी की कुछ प्रार्थीगण को तो जानकारी भी नही थी। ग्राम पंचायत की भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण होता तो ग्राम पंचायत कोरम कर कार्यवाही कर सकती थी परन्तु यहां ग्राम पंचायत द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई मात्र सचिव की नाजायज मांग विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा पूर्ण नही करने से सचिव ने अपने स्तर पर फर्जी इन्द्राज रजिस्ट्रर में करवा कर प्रार्थीगण से निगरानी प्रस्तुत करवाई है जिस इन्द्राज की जानकारी प्रार्थीगण को होने पर उनके द्वारा थाना केलवाडा पर प्रकरण भी दर्ज करवाया है, जिस प्रकरण की जाँच से भी स्पष्ट हो जावेगा कि देवली बाई की मृत्यु दिनांक 05.05.2012 को ही हुई थी। उक्त पट्टे में पडौस वर्णित कर रखे है जिस पडौसान के आधार पर आस पास कोई स्कूल की जमीन नहीं है। यदि स्कूल की जमीन पर किसी भी प्रकार का कोई अवैध अतिक्रमण किया जाता तो स्कूल वालों द्वारा भी कार्यवाही की जाकर अवैध अतिक्रमण हटवाया जा सकता है। प्रार्थीगण ने न्यायालय को गुमराह करने की गरज से उक्त आराजी की जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की है जो जमाबन्दी विपक्षी संख्या 1 व 2 अपने जवाब के साथ प्रस्तुत कर रहे है ताकि वास्तविकता प्रकट हो सके कि भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है। जो सारी कार्यवाही पंचायत द्वारा की गई उसके लिये आपत्ति उठाने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास ही है कोई भी अन्य व्यक्ति जब तक वो क्षुब्ध नहीं हो इस सम्बन्ध में आपत्ति नहीं उठा सकता है प्रार्थीगण उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे को निरस्त करवा कर स्वयं कब्जा करना चाहते है इसी कारण उनके द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है जबकि उन्हें उक्त निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। नियमों की पालना ग्राम पंचायत द्वारा की जाकर प ट्टा जारी करने से पट्टा सही एव वैध है, जिसे वैध एव सही मानते हुए ही सिविल न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् स्थगन जारी किया गया था जो आदेशिका से भी स्पष्ट है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब स्वीकार फरमाया जाकर निगराकार खेमसिंह व लालसिंह द्वारा प्रस्तुत निगरानी बेबुनियाद व झूठे तथ्यों एवं फर्जी दस्तावेज पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमायी जावें।

अप्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 03 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया किग्राम पासुन, केरावतो की भागल तहसील कुम्भलगढ़ में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के सामने सरकारी भूमि पडी हुई जो स्कूल के बच्चो के खेलने के लिए काम आ रही हैं जिसके आराजी संख्या 5378/4123 हैं। उक्त भूमि पर नानसिंह व जवानसिंह जबरन पंचायत के नाम की भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने के आशय से जबरन नीवें खोदने लगे तो ग्रामवासियो ने ग्राम

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

पंचायत में शिकायत की तो ग्राम पंचायत ने विपक्षी को ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने हेतु नोटिस दिया तथा इनका काम रुकवा दिया। ये लोग वापस जोर शोर से काम करने लगे तो ग्रामवासियो ने पंचायत को काम रूकवाने का कहा तो नानसिंह पिता मोतीसिंह ने मृतक देवली बाई पत्नि मोतीसिंह जी खरवड के नाम का पट्टा संख्या 4877 दिनांक 30.10.2010 का होना बताया इस पर ग्राम पंचायत में जांच करने पर जाहिर आया कि देवली बाई पत्नि मोतीसिंह जी के नाम आराजी संख्या 5378/4123 में कोई पट्टा जारी नहीं किया और न ही उक्त पट्टे के संबंध में ग्राम पंचायत में रेकर्ड है। जांच करने पर पाया गया कि श्रीमती देवली पत्नि मोतीसिंह जी का स्वर्गवास दिनांक 16.02.2005 को हो चुका हैं। मृत्यु रजिस्टर की प्रमाणित प्रति व सूचना पत्र की प्रति साथ में प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः निवेदन हैं कि आक्षेपित पट्टा संख्या 4877 दिनांक 30.10. 2010 को खारिज फरमाया जावें, तथा जो निर्माण कार्य किया उसे हटाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता निगराकार/प्रार्थी ने अपनी निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पासुन केरावतो की भागल तहसील कुम्भलगढ में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के सामने सरकारी भूमि पडी हुई जो बच्चो के खेलने के लिए हैं जिसके आराजी संख्या 5378/4123 हैं। उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या 1 व 2 जबरन पंचायत के नाम की भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने के आशय से जबरन नीवें खोदने लगे तो ग्रामवासियो जिसमें निगराकार भी हैं ने ग्राम पंचायत में शिकायत की तो ग्राम पंचायत ने विपक्षी को ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने हेतु नोटिस दिया तथा इनका काम रूकवा दिया। अभी दो तीन दिन से ये लोग वापस जोर शोर से काम करने लगे तो ग्रामवासियो ने पंचायत वालो को काम रूकवाने का कहा तो कहने लगे कि नानसिंह पिता मोतीसिंह ने मृतक देवली बाई पत्नि मोतीसिंह जी खरवड के नाम का पट्टा संख्या 4877 दिनांक 30.10.2010 का होना बता केवल राज्य सरकार को पक्षकार बना न्यायालय से स्टे प्राप्त किया और उसकी आड़ में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहा हैं। श्रीमती देवली पत्नि मोतीसिंह जी का स्वर्गवास दिनांक 16.02.2005 को हो चुका है। नानसिंह व उसके भाईयो ने सरकारी जमीन हडपने के लिए फर्जी रूप से पट्टा मृतक देवलीबाई पत्नि मोतीसिंह जी के नाम का दिनांक 30.10.2010 तैयार कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर ग्राम पंचायत की भूमि पर अत्तिकमण कर निर्माण कार्य कर रहे हैं। तथाकथित फर्जी रूप से पट्टा मृत व्यक्ति के नाम सरकारी जमीन स्कुल के पास की को हडपने के आशय से बनाया जो अवैध है तथा इस पट्टे के आधार पर जबरन नाजायज कब्जा करने पर उतारू हैं। तथाकथित पट्टा निलामी में जारी करने का दर्शित किया गया हैं जो गलत हैं, इस दिन कोई निलामी ही नहीं हुई तथा कोई मृत व्यक्ति कैसे निलामी में भाग ले सकता हैं। निगराकार ने ग्राम पंचायत से आक्षेपित पट्टे के संबंधीत दस्तावेज लेने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया तो ग्राम पंचायत ने ऐसे कोई दस्तावेज ग्राम

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

पंचायत में नहीं होने की सूचना दी। निलामी कार्यवाही पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 145 से लगायत 155 के प्रावधानो की पालना किया जाना आवश्यक रहता है, तथाकथित पट्टा के संबंध में उक्त नियमो की पालना नहीं की गई, यदि ऐसा पट्टा जारी भी हुआ हो तो बिना नियमो की पालना किये जारी पट्टा अवैध व शुन्य रहता हैं। अतः निवेदन हैं कि उक्त निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर आक्षेपित पट्टा संख्या 4877 दिनांक 30.10.2010 को खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 01 व 02 ने अपनी बहस में कथन किया कि स्कूल के सामने बच्चों के खेलने के लिये कोई भूमि स्थित नहीं है। आराजी संख्या 5378/4123 राजस्व रेकर्ड में आबादी होकर ग्राम पंचायत के नाम पर दर्ज है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि का पट्टा जारी कर रखा है। ग्राम में जो भी आबादी भूमि है वो राजस्व रेकर्ड में ग्राम पंचायत के नाम पर ही दर्ज होती है एव ग्राम पंचायत चाहे उस भूमि को नीलाम कर सकती है। उक्त निगरानी न तो स्कूल वालों द्वारा एवं नहीं ग्राम पंचायत की और से पेश की गयी है। जिन व्यक्तियों द्वारा निगरानी पेश की गई उनमें से कुछ ने निगरानी की कार्यवाही समाप्त करवा ली और शेष मात्र लालसिंह, खेमसिंह ही निगरानी में शेष रहे है, जो दोनो गाँव पासुन के अपराध प्रवृत्ति के व्यक्ति है, जो लोगों पर दवाब बना कर रूपये वसुल करते है एवं रूपये वसूलने के क्रम में ही उनके द्वारा उक्त निगरानी निराधार आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जिन व्यक्तियों द्वारा निगरानी पेश की गई वे किस प्रकार से क्षुब्ध है यह उन्होंने अपनी निगरानी में कही पर ही नहीं बताया है। विपक्षी संख्या 1 व 2 ने अपनी पटटे शुदा भूमि पर ही पूर्व के निर्माण को हटा कर नया निर्माण कार्य प्रारम्भ किया तो प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को जलील एव परेशान करना आरम्भ कर दिया कि हमें रूपये देकर ही निर्माण कार्य कर सकते हो जिस पर विपक्षीगण ने रूपये देने से तब प्रार्थीगण ने तहसीलदार साहब कुम्भलगढ़ के समक्ष आवेदन पत्र दिया जिस पर तहसीलदार साहब द्वारा अकारण ही कार्य रूकवाये जाने पर विपक्षी नानसिंह ने सिविल न्यायालय, कुम्भलगढ के समक्ष वाद व आवेदन प्रत्र प्रस्तुत किया। जिस आवेदन प्रत्र में न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर माननीय जिला कलेक्टर व तहसीलदार कुम्भलगढ को आगामी पेशी तक निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है। उक्त स्थगन जारी होने पर सचिव द्वारा नियमों के विपरीत नोटिस दिये जाने पर विपक्षीगण ने न्यायालय का आदेश बताया तब सचिव ने विपक्षीगण से नाजायज लाभ की माँग की जो विपक्षी संख्या 1 व 2 ने पूर्ति करने से इन्कार कर दिया तब सचिव ने प्रार्थीगण से मिलीभगत कर रूपये प्राप्त करने की गरज से झूठे एव मनगढन्त तथ्यों के आधार पर निगरानी आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी, निगरानी पेश करवाने में मात्र लालसिंह व खेमसिंह ने सचिव से मिली भगत कर अन्य लोगों की सहायता से जो निगरानी आप न्यायालय के समक्ष पेश करवाई उसकी जानकारी प्रार्थीगण को होने पर उन्होंने स्वयं आप न्यायालय के समक्ष उपस्थिति होकर निगरानी दुराशय पूर्ण प्रस्तुत करना बता

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

कर निगरानी की कार्यवाही समाप्ति की प्रार्थना की है, जो सभी आवेदन पत्र प्रत्रावली पर उपलब्ध है, प्रार्थीगण को सिविल न्यायालय कुम्भलगढ़ में वाद व आवेदन पत्र पेश करने की जानकारी आरम्भ से ही है परन्तु प्रार्थीगण ने वाद व आवेदन पत्र में पक्षकार नहीं बन कर निगरानी आप न्यायालय के समक्ष पेश कर दी जबकि प्रार्थीगण चाहते तो वाद व आवेदन पत्र में पक्षकार बन कर अपना पक्ष रख सकते थे। लालसिंह एव खेमसिंह द्वारा ही की गई एवं उनके द्वारा ही अन्य लोगों को झूठा बहाना बना कर निगरानी में हस्ताक्षर करवाये गये जिसकी जानकारी उनको होने पर उनके द्वारा निगरानी की कार्यवाही समाप्त करने बाबत् आवेदन पत्र आप न्यायालय के समक्ष पेश किया है। देवली बाई के पति मोतीसिह का स्वर्गवास आज से करीब तीस वर्ष पूर्व हो चुका था एव उसके पश्चात् दिनांक 05.05.2012 को देवली बाई का स्वर्गवास हुआ था। उक्त भूमि सरकारी भूमि नहीं होकर आबादी भूमि है एवं आबादी भूमि को विक्रय, नीलाम, बेह कर पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। आबादी भूमि पर जब तहसीलदार, कुम्भलगढ द्वारा रूकावट की गई तो विपक्षी नानसिंह ने सिविल वाद व आवेदन प्रत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें तहसीलदार कुम्भलगढ़ माननीय जिला कलेक्टर के अधिन होने से दोनो को पक्षकार बनाया गया। न्यायालय द्वारा विधिवत् बहस सुनकर ही स्थगन आदेश जारी किया गया, जो आदेशिका से भी स्पष्ट प्रमाणित है। देवली बाई की मृत्यु दिनांक 05.05.2012 को हुई थी न कि दिनांक 16.02.2005 को। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे को निरस्त करवा कर स्वयं कब्जा करना चाहते है इसी कारण उनके द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है जबकि उन्हें उक्त निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। नियमों की पालना ग्राम पंचायत द्वारा की जाकर पट्टा जारी करने से पट्टा सही एव वैध है, जिसे वैध एव सही मानते हुए ही सिविल न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् स्थगन जारी किया गया था जो आदेशिका से भी स्पष्ट है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी बेबुनियाद व झूठे तथ्यों एवं फर्जी दस्तावेज पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमायी जावें।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को सुनकर गहन मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व विवादित पट्टे का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। यह निगरानी ग्राम पंचायत बनोकड़ा द्वारा जारी पट्टा संख्या 4877 दिनांक 30.10.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। यद्यपि ग्राम पंचायत द्वारा इस भूखण्ड का पट्टा जारी होना नहीं माना है तथा ग्राम पंचायत द्वारा इसे ग्राम पंचायत की भूमि मानते हुए तहसीलदार तथा संबंधित थानाधिकारी को इस पर किये जाने वाले निर्माण को रोकने के लिए भी निवेदन किया है तथा जिनके द्वारा जो निर्माण करवाया जा रहा है उनको भी नोटिस जारी किया है। उक्त विवादित पट्टा श्रीमती देवली बाई पत्नि श्री मोतीसिंह खरवड़ के नाम पर जारी किया जाना पाया जाता है। आबादी भूमि का जो विक्रय विलेख जारी किया गया है वो पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 167(1) के अंतर्गत जारी होना अंकित किया

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

गया है और इस पट्टे पर नीचे पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 भी अंकित है जिसका कोई औचित्य नहीं है। उक्त विवादित पट्टे में नीलामी में सबसे ऊंची बोली होने के कारण स्वीकार किया जाना अंकित किया गया है जो कि रूपये 840 है पंचायत के संकल्प का भी इस पट्टे पर उल्लेख किया गया है परन्तु इस तरह की कोई पत्रावली ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। इस पट्टे के आधार पर कतिपय व्यक्तियों श्री नानसिंह द्वारा माननीय सिविल न्यायाधीश कुंभलगढ़ में भी एक दीवानी वाद प्रस्तुत किया है और माननीय न्यायालय द्वारा इसमें अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिये है कि विवादित आबादी भूमि से अप्रार्थी को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बदेखल नहीं करे और प्रार्थी के उपयोग उपभोग में बाधा या देखल अंदाजी नहीं करे। माननीय न्यायालया द्वारा जो यह आदेश जारी किया गया है वो इस विवादित पट्टे के आधार पर ही जारी किया गया है। इस पट्टे को प्रथमदृष्टया सही मानते हुए यह आदेश दिया गया है। इस स्तर पर हम माननीय सिविल न्यायालय के आदेश पर कोई टिप्पणी का अधिकार नहीं रखते है परन्तु यदि ग्राम पंचायत द्वारा कोई पट्टा जारी किया गया हो अथवा कोई भी फर्जी दस्तावेज/कागज पेश किया गया हो तो उसके नियम संगत होने अथवा नहीं होने या उसे निरस्त करने का कार्य इस न्यायालय द्वारा पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97 के तहत किया जाता है।

सर्वप्रथम यहां पर हम यह देखते है कि ग्राम पंचायत बनोकड़ा द्वारा वर्ष 2010 में खुली नीलामी में मात्र 840 रूपये में 4000 वर्गफीट का भूखण्ड बेच दिया जाना नियम संगत नहीं लगता है क्योकि खुली नीलामी में न्युनतम दर का जब भी निर्धारण किया जाता है तो न्युनतम बोली दर उस क्षेत्र की आरक्षित दर होती है यदि बहस के प्रयोजन से उस समय उस भूखण्ड की न्युनतम दर 10 रूपये प्रति फीट मान ली जाए तो भी उस भूखण्ड की न्युनतम दर 40,000 रूपये दर से भूखण्ड की नीलामी शुरू हो होनी चाहिए थी। 4000 फीट के भूखण्ड को मात्र 840 में बेच दिया जाना अर्थात् 20 पैसे/वर्गफीट में भूखण्ड बेच दिया जाना संभव ही नहीं है। यदि ऐसा किया गया है तो यह घोर वित्तिय अनियमितता की श्रेणी में आता है परन्तु ग्राम पंचायत स्वयं यह मान रही है कि उसके द्वारा यह पट्टा जारी नहीं किया गया है। अगर इस पट्टे को जारी किया हुआ माना भी जाता है तो यह घोर वित्तिय अनियमितता की श्रेणी में आता है। किसी 4000 फीट के भूखण्ड को खुली नीलामी में मात्र 840 रूपये में किसी को जारी कर दिया जाए। पत्रावली में निगराकार द्वारा ग्राम पंचायत बनोकड़ा का मृत्यु रजिस्टर प्रस्तुत किया गया है। उल्लेखनीय है कि सचिव ग्राम पंचायत को रजिस्ट्रार जन्म/मृत्यु के अधिकार प्रदान किये गये है। जिसके तहत वह पंचायत में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का इंद्राज उस रजिस्टर में दर्ज करता है तथा मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी करता है। इसका अवलोकन करने पर यह स्पष्ट हुआ कि इस पट्टे की आवंटी श्रीमती देवली बाई पत्नि मोतीसिंह का देहावसान दिनांक 16.02.2005 को ही चुका था। हमारे पास में इस मृत्यु रजिस्टर पर अविश्वास

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि यह मृत्यु रजिस्टर लगातार दिनांकवार संधारित होता है जिसमें मरने वालो का इंद्राज किया जाता है। विवादित पट्टा जो कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वो दिनांक 30.10.2010 का है और यह श्रीमती देवली बाई पत्नि मोतीसिंह के नाम का ही है अर्थात् एक सार्वजनिक दस्तावेज मृत्यु प्रमाण के आधार पर एक मृत व्यक्ति के नाम पर उसकी मृत्यु के 5 वर्ष पश्चात यह पट्टा जारी किया गया जो अपने आप में ही एक संदेह उत्पन्न करता है। अतः यह पट्टा पुरी तरह संदिग्ध होकर अनियमित है। और घोर अनियमितताओं का किया जाना इसमें प्रकट हुआ है तथा ग्राम पंचायत भी इस पट्टे का कोई अस्तित्व नहीं मानती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप यह जो पट्टा पत्रावली में प्रस्तुत किया गया है वह स्वतः ही निरस्त योग्य है। यद्यपि ग्राम पंचायत ने इसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है परन्तु यदि इस विवादित पट्टे को जारी भी किया गया है। तो वह निरस्त योग्य है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बनोकड़ा द्वारा जारी पट्टा संख्या 4877 दिनांक 30.10.2010 को निरस्त किया जाता है। तथा निर्णय की प्रति विकास अधिकारी कुंभलगढ़ तथा माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय कुंभलगढ़ को भिजवायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 16.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)